—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :—

पीठासीन अधिकारी :— श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :— 114 / 2017

उनवान

1. महावीर पुत्र बिरदा जाति माली निवासी ग्राम लोहरवाडा, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. सुन्दर पत्नी राधाकिशन
2. तेजू पुत्र राधाकिशन
3. धापू पत्नी रामकरण
4. स्याणी पत्नी सहसकरण
5. लाला पुत्र सहसकरण
6. गजराज उर्फ रतन पुत्र सहसकरण
7. पांचू पुत्र छोटू समस्त जाति माली नि0 ग्राम लोहरवाडा, नसीराबाद
8. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार् नसीराबाद

—— प्रतिवादी :— 2 से 7 स्वयं
8. जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955 व धारा 136 भू. राज. अधि. 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 8.10.18

वाद के आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लोहरवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 3546 रकबा 3—15—0, 3840 रकबा 2—0—0, 3547 रकबा 3—6—0, 3548 रकबा 3—8—0, 3838 रकबा 1—17—0 व 3839 रकबा 1—15—0 की आराजियात नामान्तकरण संख्या 602 दिनांक 28.2.02 को वादी महावीर एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम नियमन से खातेदारी दर्ज हुयी थी। तब से वादीगण का कब्जा काश्त उक्त आराजी पर चला आ रहा है। किन्तु बंदोबस्त विभाग ने अपने अधिकारो से परे जाते हुये उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 1071 / 5509 रकबा 0.08, 1071 रकबा 0.32, 1072 रकबा 0.29, 355 रकबा 0.59, 1040 रकबा 1.63, 1070 रकबा 0.49, 1068 रकबा 0.55, 1068 / 5510 रकबा 0.04 व 162 रकबा 0.57 को वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम दर्ज कर दिया। व हाल खसरा नम्बर 159 रकबा 0.32, 172 रकबा 0.28, 171 रकबा 0.30 की आराजी को गैर कानूनी तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया। अतः उक्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज दुरूस्त कर वंर्किग जमाबंदी अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 से 7 ने प्रकरण में राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?
——वादी

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में महावीर पुत्र बिरदा , पांचू पुत्र छीतर के बयान दर्ज करवाये व राजस्व अभिलेख पेश किये।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

——2

Scanned by CamScanner

राज0 पैरोकार ने प्रकरण में साक्ष्य पेश नही कर जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण को विधिवत नियमन हुयी थी। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर में से कुछ आराजी सिवायचक दर्ज कर दी व कुछ आराजी में से वादी का नाम तर्क कर मात्र प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को वंर्किग जमावंदी अनुसार खातेदार घोषित किया जावे।

राज0 पैरोकार ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। वादी द्वारा अपना कब्जा सिद्व करने के लिये कोई ठोस दस्तावेज पेश नही किया है। अतः वाद खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 :-

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम लोहरवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 3346 रकबा 3-15-0, 3840 रकबा 2-0-0, 3547 रकबा 3-6-0, 3548 रकबा 3-8-0, 3838 रकबा 1-17-0 व 3839 रकबा 1-15-0 की आराजियात नामान्तकरण संख्या 602 दिनांक 28.2.02 को वादी महावीर एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम नियमन से खातेदारी दर्ज हुयी थी। उक्त नामान्तकरण का अमल दरामद वंर्किग जमाबंदी में भी किया गया। नामान्तकरण के कालॅम संख्या 14 के अनुसार उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी को नियमन हुयी थी। वादी द्वारा प्रस्तुत नियमन आदेश दिनांक 28.12.01 के अनुसार "**ग्राम पचायत लोहरवाडा में प्रशासन गांव के संग 2001 के दौरान भू संशोधन की समस्याओ के निराकरण के सबंध में राज्य सरकार के राजस्व (गुप्र6) विभाग, जयपुर के पत्र कंमाक/प-6(39) राज-6/2001/60 दिनांक 28.9.01 एवं समय-समय पर प्राप्त निर्देशानुसार भू संशोधन के अवशेष प्रकरणों के निस्तारण हेतु आंवटन/नियमतिकरण सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई।**" व आदेश कमाक 288 दिनांक 31.12.01 की कम संख्या 68 में आराजी मुतनाजा के वंर्किग खसरा नम्बर वादी व प्रतिवादीगण के नाम विधिवत नियमन की गयी। आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 1071/5509 रकबा 0.02, 1068/5510 रकबा 0.04 पूर्व में ही खातेदारी दर्ज है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का नाम खातेदार के रूप में दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 162 रकबा 0.57 प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है किन्तु उक्त खसरा नम्बर पर वादी का नाम ही है। जबकि उक्त आरजी के वर्किग खसरा नम्बर 3838 प्रतिवादीगण के साथ वादी को भी नियमन हुयी थी। बंदोबस्त विभाग को उक्त खसरा नम्बर पर प्रतिवादीगण के साथ वादी का नाम भी दर्ज करना चाहिये था। प्रतिवादीगण ने प्रकरण में राजीनामा पेश किया है जिसके अनुसार वाद स्वीकार करने पर उन्हे कोई आपत्ति नही है।

आराजी मुतनाजा के अन्य हाल खसरा नम्बर 1071/0.32, 1072/0.29, 159/0.32, 1070/0.49, 1068 मिन /0.55, 171/0.30 172/0.28 को वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय वंर्किग जमाबंदी का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण तरीके से परिवर्तित कर दिया व सिवायचकर्ज कर दिया। बदांबस्त विभाग को उक्त इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही था।

उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा वादी व प्रतिवादीगण के पक्ष में आराजी मुतनाजा के नियमन का नामान्तरकरण संख्या 608/25.2.02 को भरा गया जो दिनांक 28.2.02 को स्वीकार किया गया। तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में उक्त नामान्तरकरण आदेश की पालना में वादी व प्रतिवादीगण को आराजी मुतनाजा का खातेदार भी दर्ज कर दिया गया। वादी व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी विशेष राजस्व अभियान में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश से नियमन की गयी थी। जिसकी राजस्व अभिलेख में नियमानुसार पालना की गयी। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में किस कारण से वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज नही की गयी। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होने के कारण वादी का वाद खारिज नही किया जा सकता है जबकि उसके द्वारा उक्त आराजी के नियमन व तत्कालीन राजस्व अभिलेख में की गयी पालना के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये है। पत्रावली में ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नही है जिसके आधार पर बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी वादी की खातेदारी में से हटायी है। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी व प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती प्राप्त करने के अधिकारी है। तनकी संख्या 1 बहक वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम लोहरवाडा की आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 1071/0.32, 1072/0.29, 159/0.32, 1070/0.49, 1068 मिन/0.55, 162/0.57, 171/0.30, 172/0.28 की आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को खातेदार घोषित किया जाता है।

--3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

महावीर बनाम सुन्दर

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज. अधि.1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 114 / 2017
पेश करने की दिनांक – 1.8.17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

उक्तानुसार ग्राम लोहरवाडा की आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 1071 / 0.32, 1072 / 0.29, 159 / 0.32, 1070 / 0.49, 1068 मिन / 0.55, 162 / 0.57, 171 / 0.30, 172 / 0.28 की आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 8 माह 10 सन् 2018 को जारी की गयी।

मुददई

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मुदायला

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner